FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0028 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 14/02/2024 19:54 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 07/02/2024 **Date To (दिनांक तक):** 12/02/2024

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:06 बजे **Time To (समय तक):** 05:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 14/02/2024 **Time (समय):** 19:50 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 14/02/2024 19:54:27 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 420 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** Police Station Besroadgarh CHG

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Ladhu Lal Salvi

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Bharmal Salvi

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1980 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Negadiya Kalan, BASSI(JAIPUR CITY (EAST)), JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Negadiya Kalan, BASSI(JAIPUR CITY (EAST)), JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9351697237

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Prema Ram Jat ASI		पिता:Chhotu ram Jat	1. Bari Khatu,KHATU BARI,NAGAUR,RAJASTHAN,IN

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		40,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 40,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि दिनांक 07.02.2024 को सुबह मेरे भानेज प्रभुलाल पुत्र श्री जगदीश निवासी बस्सी ने मुझे फोन कर बताया कि पुरण सालवी (प्रभुलाल का छोटा भाई व मेरा भाणेज) को पुलिस थाना भैंसरोडगढ वाले 2-3 दिन पहले पकड कर ले गये थे मेरे पास भेंसरोडगढ के एएसआई प्रेमाराम का फोन आया और मुझसे कहा कि यदि पूरण की मदद करना चाहते हो तो 50,000 रूपये लेकर पुलिस थाना भैंसरोडगढ में आकर मुझसे मिलो। इस पर मै, मेरा भाणेज प्रभुलाल तथा मेरे परिचित सोहन जी निवासी रोलाहेडा, बबलु पुत्र श्री नाथु जी निवासी नेगडीया कलां उसी दिन रवाना होकर भेंसरोडगढ गये तथा पुलिस थाने के बाहर जाकर मेने मेरे भाणेज प्रभुलाल से एएसआई के मोबाईल नंबर लेकर एएसआई प्रेमाराम के ा कॉल किया तो उसने अपने आपको रावतभाटा जाना बताया कुछ देर इंतजार करने के बाद एएसआई प्रेमाराम थाने के बाहर आकर हमसे मिला तो मैने कहा कि मेरा भाणेज निर्दोष हैं। फिर भी आपने इसे 2-3 दिन से थाने मे बैठा रखा है। इस पर एएसआई प्रेमाराम ने पुरण की मदद करने तथा मारपीट नही करने व कोर्ट में पेश करने के नाम पर 50,000 हजार रूपये की मांग की हमने समझाईश की तो कहा कि 40,000 रूपये की पुनः मांग कर धमकाया तथा मेरे भाणेज पुरण सालवी से मिलने भी नहीं दिया। जिससे हम काफी डर गये थे। इसके बाद हमे थाने के अन्दर आने को कहा तो मै व मेरा भाणेज प्रभुलाल थाने के अन्दर गये। जहां डर के कारण मेने एएसआई को 40,000 रूपये 500-500 रूपये के 80 नोट दिये जिसको 02 बार गिनकर एएसआई ने अपने पास रख लिये तथा मदद का आश्वासन दिया जिसका मैने मेरे ओप्पो A12 मोबाईल में विडीयो बना लिया था। एएसआई प्रेमाराम ने पैसे लेने के बाद ही भैंसरोडगढ थाने की हवालात में बंद मेरे भाणेज पूरण सालवी से हमे मिलवाया जिससे मैने पुरे मामले की जानकारी ली तो पुरण सालवी ने बताया कि "मेरी मेघनिवास गांव की कोमल नाम की लडकी से फोन पे बात करता था वो लडकी कुछ दिन पहले मेरे मिलने के लिये बस्सी आई थी जो कुछ देर बाद वापस चली गई थी। इसके बाद अभी 3-4 दिन पहले भैंसरोडगढ पुलिस थाने के पुलिसकर्मी मुझे गांव रोलाहेडा पुलिस थाना चंदेरिया जिला चित्तोडगढ से पकड कर पुलिस थाना भेंसरोडगढ पर ले आये जब से यहां बंद कर रखा है।" इसके बाद अनजाने में मैं यह विडियो किसी के सेंट हो गया जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। दिनांक 08.02.2024 व 09.02.2024 तक मेरा भाणेंज भेंसरोडगढ थाना पुलिस की हिरासत में होने से मै वहीं रहा क्योंकि मुझे डर था कि पुलिस वाले मेरे भाणेज पुरण के साथ कोई मारपीट नहीं कर दे इसके पश्चात दिनांक 10.02.2024 व 11.02.2024 को शनिवार, रविवार का अवकाश होने के कारण मै ब्यूरो कार्यालय पर नहीं आया। आज दिनांक 12.02.2024 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुं। मेरा मोबाईल ओप्पो A12 मय उक्त मुल विडीयो के साथ श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि मेने उक्त विडीयो के साथ कोई छेडछाड नहीं की है। जैसा मेने विडीयो बनाया था वेसा ही मेरा मोबाईल में सुरक्षित है। श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करावे। प्रार्थी एस.डी/- लादुलाल सालवी पुत्र श्री भारमल सालवी उम्र 44 साल निवासी-नेगडीया कलां पुलिस थाना बस्सी जिला चित्तौडगढ मोबाईल नंबरः-9351697237 कार्यवाही पुलिस कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ दिनांक 12.02.2024 को समय करीब 5.00 पी.एम. पर परिवादी श्री लादुलाल सालवी पुत्र श्री भारमल सालवी उम्र 44 साल निवासी-नेगडीया कलां पुलिस थाना बस्सी जिला चित्तौडगढ मोबाईल नंबर 9351697237 द्वारा ब्यूरो चैकी चित्तोड़गढ़ पर एक हस्तलिखित रिपोर्ट मय ऑडिओ-विडियो रेकॉर्डिंग विरूद्ध श्री प्रेमाराम जाट हाल सहायक उप निरिक्षक पुलिस थाना भेसरोडगढ जिला चित्तौडगढ प्रस्तुत करने के उपरान्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू, भ्रनिब्यूरो चित्तौडगढ द्वारा अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। परिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया कि दिनांक 07.02.2024 को सुबह मेरे भानेज प्रभुलाल पुत्र श्री जगदीश निवासी बस्सी ने मुझे फोन कर बताया कि पुरण सालवी (प्रभुलाल का छोटा भाई व मेरा भाणेज) को पुलिस थाना भैंसरोडगढ वाले 2-3 दिन पहले पकड कर ले गये थे मेरे पास भेंसरोडगढ के एएसआई प्रेमाराम का फोन आया और मुझसे कहा कि यदि पूरण की मदद करना चाहते हो तो 50,000 रूपये लेकर पुलिस थाना भैंसरोडगढ में आकर मुझसे मिलो। इस पर मै, मेरा भाणेज प्रभुलाल तथा मेरे परिचित सोहन जी निवासी रोलाहेडा, बबलु पुत्र श्री नाथु जी निवासी नेगडीया कलां उसी दिन रवाना होकर भेंसरोडगढ गये तथा पुलिस थाने के बाहर जाकर मेने मेरे भाणेज प्रभुलाल से एएसआई के मोबाईल नंबर लेकर एएसआई प्रेमाराम के ा कॉल किया तो उसने अपने आपको रावतभाटा जाना बताया कुछ देर इंतजार करने के बाद एएसआई प्रेमाराम थाने के बाहर आकर हमसे मिला तो मैने कहा कि मेरा भाणेज निर्दोश हैं। फिर भी आपने इसे 2-3

दिन से थाने मे बैठा रखा है। इस पर एएसआई प्रेमाराम ने पुरण की मदद करने तथा मारपीट नही करने व कोर्ट में पेश करने के नाम पर 50,000 हजार रूपये की मांग की हमने समझाईष की तो कहा कि 40,000 रूपये की पुनः मांग कर धमकाया तथा मेरे भाणेज पुरण सालवी से मिलने भी नहीं दिया। जिससे हम काफी डर गये थे। इसके बाद हमे थाने के अन्दर आने को कहा तो मै व मेरा भाणेज प्रभुलाल थाने के अन्दर गये। जहां डर के कारण मेने एएसआई को 40,000 रूपये 500-500 रूपये के 80 नोट दिये जिसको 02 बार गिनकर एएसआई ने अपने पास रख लिये तथा मदद का आष्वासन दिया जिसका मैने मेरे ओप्पोA12 मोबाईल में विडीयो बना लिया था। एएसआई प्रेमाराम ने पैसे लेने के बाद ही भैंसरोडगढ थाने की हवालात में बंद मेरे भाणेज पूरण सालवी से हमे मिलवाया जिससे मैने पुरे मामले की जानकारी ली तो पुरण सालवी ने बताया कि ''मेरी मेघनिवास गांव की कोमल नाम की लडकी से फोन पे बात करता था वो लडकी कुछ दिन पहले मेरे मिलने के लिये बस्सी आई थी जो कुछ देर बाद वापस चली गई थी। इसके बाद अभी 3-4 दिन पहले भैंसरोडगढ पुलिस थाने के पुलिसकर्मी मुझे गांव रोलाहेडा पुलिस थाना चंदेरिया जिला चित्तोडगढ से पकड कर पुलिस थाना भेंसरोडगढ पर ले आये जब से यहां बंद कर रखा है।'' इसके बाद अनजाने में मे यह विडियो किसी के सेंड हो गया जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। दिनांक 08.02.2024 व 09.02.2024 तक मेरा भाणेंज भेंसरोडगढ थाना पुलिस की हिरासत में होने से मै वहीं रहा क्योंकि मुझे डर था कि पुलिस वाले मेरे भाणेज पुरण के साथ कोई मारपीट नहीं कर दे इसके पश्चात दिनांक 10.02.2024 व 11.02.2024 को शनिवार, रविवार का अवकाश होने के कारण मै ब्यूरो कार्यालय पर नहीं आया। आज दिनांक 12.02.2024 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुं। मेरा मोबाईल oopo A12 मय उक्त मुल विडीयो के साथ श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि मेने उक्त विडीयो के साथ कोई छेडछाड नहीं की है। जैसा मेने विडीयो बनाया था वेसा ही मेरा मोबाईल में सुरक्षित है। श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करावे। परिवादी ने दरियाफत पर बताया कि दिनांक 07.02.2024 को सुबह मेरे भानजे प्रभु लाल सालवी निवासी बस्सी (चित्तोड़गढ़) का फोन आया और उसने बताया कि पूर्ण (मेरा छोटा भानजा) को भैसरोड़गढ़ पुलिस ने पकड़ लिया है और आईओ प्रेमाराम चौधरी हमें थाने पर बुला रहा है, वह बिना रूपये लिए मानेगा नहीं, इस पर मैं बस्सी पहुंचा, वहां से प्रभु लाल, सोहन लाल (प्रभू का साला) और बबलू मेरा भतीजा और मैं रवाना होकर (swift desire car जो बबलू की है से) भैंसरोड़गढ़ पहुंचे। हमने आधा घण्टा इन्तजार किया, थाने के बाहर प्रेमाराम रावतभाटा गया हुआ था। थोड़ी देर बाद प्रेमाराम आ गया था। थाने के बाहर दोपहर दो- अढ़ाई बजे हमारी मुलाकात हो गई । केस को हल्का करने, जमानत आसानी से हो जाये और मारपीट नहीं करने के लिए उसने 50000 रूपये मांगे, हमने मना कर दिया बाद में वह बोला 40000 रूपये से कम कुछ भी नहीं लूंगा।कुछ समय पश्चात् मैं और प्रभु थाने के अन्दर गये, थाने के एक कमरे में प्रेमाराम जी बैठे थे, मैंने उनको 40000 रूपये दिए जो उन्होंने गिन के रख लिए और हमें पूरी मदद का आश्वासन दे दिया। मैंने अपने मोबाईल से प्रेमाराम का रिश्वत लेने का विडियो भी बना लिया था जिसका प्रभु को भी पता नहीं था। हम प्रेमाराम से थाने मे 3 से 3.30 बजे के मध्य मिले थे। फिर हम बस्सी चले गये थे। वहां मैंने प्रभु को बताया कि मैंने विडियों बनाया है, इसे एसीबी में दे देंगे। प्रभु ने कहा अभी रूको जब पूर्ण को जेसी करवा देंगे तब करना। दिनांक 10.02.2024 को पूर्ण को उन्होंने जेसी करवा दिया। दिनांक 11.02.2024 को रविवार था। आज सोमवार को मै आपके पास हूं । परिवादी ने अपने मोबाईल में विडियों को चला कर दिखाया। इसमें वर्दीधारी एक अधिकारी रूपये गिन कर ले रहा है। परिवादी की बात की पुष्टि हो गई है। विडियों में किसी भी प्रकार की कांट-छाँट नजर नही आ रही है। गैलेरी मे विडियो का विवरण देखा गया तो इसका नाम VID20240207150046 है। दिनांक 07.02.2024 को समय 3.06.13 पी.एम है। इसकी अवधी 5.26 है तथा आकार 668 एम.बी है। तमाम तथ्य से स्पष्ट है कि प्रेमाराम एएसआई ने 40,000/-रूपये की रिश्वत ग्रहण कर ली है जो कि धारा 7 पीसी एक्ट मे अपराध की श्रेणी मे आता है अतः प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना आवश्यक है। इसके बाद दिनांक 12.02.2024 समय 5.40 पीएम पर प्रकरण मे थाना भेसरोडगढ की मूल पत्रावली जिसमे परिवादी का भानजा गिरफतार हुआ है तथा आरोपी का सेवा विवरण वांछनीय होने से पुलिस अधीक्षक चित्तौडगढ को जरिये विशेष वाहक पत्र देकर भेजा गया था। इसके बाद समय 6.00 पीएम पर कार्यवाही मे स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से तहरीर जारी की गई। इसके बाद समय: 08.30 पी.एम. पर जरिये तहरीर तलविदा दो सवतन्त्र गवाह कार्यालय हाजा में उपस्थित आये हैं जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनसे उनका परिचय पुछा तो एक गवाह ने अपना नाम श्री ओमप्रकाश राठोर पुत्र श्री जमना लाल राठोर जाति तेली उम्र 36 साल निवासी आंवलहेडा तहसील बैंगु जिला चित्तोडगढ हाल नर्सिंग ऑफिसर जिला चिकित्सालय चित्तौडगढ मोबाईल नंबर 098287-81472 व दुसरे ने अपना नाम श्री मोहम्मद मोहसीन अंसारी पुत्र श्री मोहम्मद मुस्लिम अंसारी जाति अंसारी उम्र 36 निवासी-पुरानी मस्जिद के पास बस्सी जिला चित्तौडगढ हाल नर्सिंग ऑफिसर जिला चिकित्सालय चित्तौडगढ मोबाईल नंबर 095712-12471 होना बताया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान का परिवादी श्री लादुलाल सालवी पुत्र श्री भारमल सालवी उम्र 44 साल निवासी-नेगडीया कलां पुलिस थाना बस्सी जिला चित्तौडगढ़ से आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनों गवाहान को दिखाया व पढ़ाया गया व प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी द्वारा दिनांक 07.02.2024 को श्री प्रेमाराम ए0एस0आई0, पुलिस थाना भैंसरोड़गढ़ 40,000/-रूपये रिश्वत की राशि देते समय की ऑडियो-विडियो रिकार्डिंग जो परिवादी के स्वयं के ओप्पों कम्पनी के A12 मोबाईल मॉडल नम्बर CPH2083 में रिकार्डिंग

की गई थी। उक्त वार्ता को मोबाईल का लाउडस्पीकर ऑन कर दोनों गवाहान को सुनाई गई। दोनो गवाहों को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही में उपस्थित रहने की हिदायत कर कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय: 08.40 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में उपस्थित में परिवादी श्री लादुलाल सालवी पुत्र श्री भारमल सालवी उम्र 44 साल निवासी नेगडीया कलां पुलिस थाना बस्सी जिला चित्तोडगढ द्वारा पेश स्वयं का ओप्पो A12 मोबाईल बरंग आसमानी जैसा, मोडल नंबर CPH2083 जिसमें पुलिस भैंसरोडगढ थाने के एएसआई प्रेमाराम का दिनांक 07.02.2024 को समय 03.06 पीएम का मूल ऑडियो-विडीयों है। उक्त मोबाईल मे एक सिम कार्ड (एयरटेल) लगी हुई है। बाद अवलोकन ऑडियो-विडीयो व फर्द ट्रांसक्रिप्ट वार्ता के मोबाईल को नियमानुसार जब्त किया जायेगां। फर्द पेशकसी मोबाईल पृथक से तैयार की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय: 09.00पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में परिवादी द्वारा दिनांक 12.02.2024 को पेश ओप्पो A12 मोबाईल बरंग आसमानी जैसा, मॉडल नंबर CPH2083 जिसमें दिनांक 07.02.2024 समय 03.06 पीएम का एक ऑडियो-विडीओ बना हुआ है जिसमें परिवादी श्री लादुलाल आरोपी श्री प्रेमाराम से वार्ता व रिश्वत लेन-देन व 500-500 के नोटो को गिनकर पुरे 80 नेाट होने की स्वीकृती है। वार्ता भैंसरोडगढ थाने के एक कक्ष में हो रही है इस दौरान परिवादी श्री लादुलाल सालवी का भाणेज श्री प्रभुलाल भी उक्त ऑडियो विडीयो में दिखाई दे रहा हे। उक्त मोबाईल के स्पीकर को ऑन करके उक्त ऑडियो-विडीयो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि 132 के द्वारा तैयार करवाई गई। आरोपी की आवाज की पहचान उपस्थित स्वतंत्र गवाहन के समक्ष परिवादी श्री लादुलाल सालवी से करवाई गई तो परिवादी ने बताया कि ऑडियो विडियो में जो वर्दी पहने है एक आवाज श्री प्रेमाराम एएसआई की है तथा दुसरी आवाज मेरी है तथा ऑडियो-विडियो मे जो एक अन्य व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह मेरा भाणेज प्रभुलाल है। इसके पश्चात् परिवादी श्री लादुलाल सालवी द्वारा पेश उक्त ओप्पो A12 मोबाईल बरंग आसमानी जैसा, मॉडल नंबर CPH2083 को एक सफेद कपड़े की थैली में शिल्ड कर कपड़े की थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर मार्क 'एम' अंकित कर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द जुदागाना मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय: 11.55 पी.एम. पर बाद सम्पूर्ण कार्यवाही दानों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी को रूखसत दी गई एवं जप्तशुदा आर्टिकल्स मालखाना ईन्चार्ज श्री श्याम लाल हैड कानि0 नं0 105 को सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाने में रखवाये गये। प्रकरण की पत्रावली भी कार्यालय में सुरक्षित रखी गई। इसके बाद दिनांक 13.02.2024 समय 00.15 ए.एम पर प्रकरण मे थाना भेसरोडगढ की पत्रावली जिसमे पे्रमाराम आई.ओ है अभी तक प्राप्त नही हुई है। सेवा विवरण प्राप्त हो चुका है जिसे शामिल पत्रावली किया। श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि नम्बर 132 ने बताया कि कल दिन मे (12.02.24 को) पे्रमाराम द्वारा रिश्वत परिवादी श्री लादू लाल से लिये जाने का यह विडियो वाटसअप पर श्रेत्र मे वायरल हो रहा था जो मेरे भी मोबाईल मे आया हुआ है। इसी विडियो के आधार पर पुलिस अधीक्षक चित्तौडगढ से पे्रमाराम एएसआई को सस्पेंड भी कर दिया है। जितेन्द्र सिंह एचसी के मोबाईल मे विडियो देखा गया यह वही हुबहु विडियो है जो परिवादी ने पैश किया। श्री जितेन्द्र सिंह के मोबाईल से कार्यालय के कंप्यूटर मे कॉपी कर इस विडियो की पृथक से सीडी तैयार की गई। जो मालखाना मे सुरक्षीत रखवाई गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत मोबाईल एफएसएल जयपुर भेजकर इसके बारे मे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जावेगी।(1) क्या इस मोबाईल मे दिनांक 07.02.24 को किसी पुलिस कर्मी द्वारा रिश्वत लेन-देन(रूपयो का आदान प्रदान) की विडियो फाईल मोजुद है ? (2) यह विडियो क्या इसी मोबाईल से बनाया गया है ? (3) इस विडियो मे कोई छेडछाड/कांट छाट तो नही है कोई एडीटींग/डबींग तो नही है ? (4) इस विडियो फाईल की (हैश) वेल्यु तथा meta data क्या है ? (5) इस विडियो की पांच कोपी सीडी मे उपलबध करवानी है एफएसएल से। इसके बाद समय 12.05 पी.एम. पर परिवादी के भाणेज श्री पूरण सालवी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्यां 11/24 अन्तर्गत धारा 363,366 क, 376(2)(n) भा.द.सं. व धारा 5(ठ),6 पोक्सो एक्ट 2012 पुलिस थाना भैसरोड़गढ़ जिला चित्तोड़गढ़ की पत्रावली की प्रमाणित फोटोप्रतियाँ जिला पुलिस अधीक्षक चित्तोड़गढ़ के पत्रांक 2518 दिनांक 13.02.2024 से प्राप्त हुई जिसका अवलोकन किया तो पाया की दिनांक 03.02.24 तक प्रकरण का आई.ओ प्रेमाराम एएसआई है, दिनांक 03.02.24 को आई.ओ लडकी की उम्र दिनांक 25.02.2009 होना पाता है। अतः उसके नाबालिक होने के कारण डायरी नम्बर 03 लडकी की बरामदगी और 161 सीआरपीसी के बयान लिखकर बलात्कार होने का साक्ष्य आने के कारण पोक्सो एक्ट मय 376(2)(n) भा.द.सं. धारा लगाकर पत्रावली एसएचओ को सौंप देता है। दिनांक 03.02.24 से आज तक पत्रावली का आई.ओ थानाधिकारी भेसरोडगढ जिला चित्तौडगढ श्री कृष्ण बुनकर पुलिस निरीक्षक है। जो अभियुक्त को दिनांक 08.02.24 को गिरफतार करता है, 02 दिन का पीसी लेकर पोटेन्सियल टेस्ट करवाना, धारा 27 एवीडेन्स एक्ट की सुचना पर घटना स्थल तस्दीक कर डी.एन.ए. सेम्पलीगं करना, लडकी का 164 सीआरपीसी के बयान करवाने सम्बन्धि कार्य करता है। तथा दिनांक 10.02.24 को अभियुक्त को जेसी करवा देता है। रिश्वत लेन-देन के दिन प्रकरण मे अनुसन्धान अधिकारी श्री कृष्णचन्द बुनकर थे उनकी रिश्वत ग्रहण मे क्या भुमिका है, उन्हे इस बात का पता है या एएसआई प्रेमाराम बाले बाले ही यह कार्य कर रहा है, का अन्वेषण के दोरान खुलासा किया जायेगा एवमं तदनुसार कार्यवाही की जावेगी। बाद अवलोकन उक्त पत्रावली की प्रमाणित फोटोप्रतियाँ को शामिल कार्यवाही किया गया। दौराने कार्यवाही परिवादी द्वारा 65बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया, जो पत्रावली में संलग्न है तथा परिवादी द्वारा अपने

मोबाईल के स्क्रीन शॉट की प्रिन्ट दी गई थी जिस पर गवाहान के दौराने कार्यवाही हस्ताक्षर करवाये गये थे, जो पत्रावली में संलग्न है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अब तक की गई कार्यवाही से आरोपी श्री प्रेमाराम एएसआई द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री लादू लाल सालवी से उसके भानजे श्री पुरणमल सालवी के विरूद्ध पुलिस थाना भेसरोडगढ मे दर्ज प्रकरण सं. 11/24 अन्तर्गत धारा 363,366 क, 376(2)(द) भा.द.सं. व धारा 5(ठ),6 पोक्सो एक्ट 2012 मे केस को हल्का करने, मारपीट नहीं करने, जमानत आसानी से हो जाये जिसके लिये चड्डी पर आये कोई सबुत खत्म हो जाये इसलिये नहला धुलाकर पैश करने की एवज मे 50000रूपये की मांग करना तथा बारगेनिंग करने के पश्चात एएसआई श्री पे्रमाराम द्वारा मांग कर 40,000 रूपये रिश्वत राशी अपने हाथो से गिनकर ग्रहण करना पाया गया है। जिसके लिये विडियो के रूप मे सबूत मौजुद होने से आरोपी श्री प्रेमाराम जाट हाल सहायक उप निरिक्षक पुलिस थाना भेसरोडगढ जिला चित्तौडगढ के विरूध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018) का अपराध प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है। आरोपी श्री प्रेमाराम जाट हाल सहायक उप निरिक्षक पुलिस थाना भेसरोडगढ जिला चित्तौडगढ की जिम्मेदारी यह थी कि वह अपराधी को सजा दिलावें किन्तू वह अपनी इस डयुटी को इमप्रोप्रली एवं डिस्ओनेस्टली सम्पादित करता है और इसके लिये 40000 रूपये बतौर रिश्वत ग्रहण करता है। अतः आरोपी श्री प्रेमाराम जाट पुत्र श्री छोटु राम जाट उम्र 51 वर्ष निवासी बडी खाटू पुलिस थाना बडी खाटू जिला नागौर हाल सहायक उप निरिक्षक पुलिस थाना भेसरोडगढ जिला चित्तौडगढ के विरूध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018) मे प्रकरण दर्ज करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय पर प्रेषित है। (कैलाश सिंह सांदू)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ.....कार्यवाही पुलिस...... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कैलाश सिंह सांदू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री प्रेमाराम जाट हाल सहायक उप निरिक्षक पुलिस थाना भेसरोडगढ जिला चित्तौडगढ के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 28/2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. उदयपुर को सुपुर्द कर प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त के सम्बन्ध में रोजनामचा रिपोर्ट 206 दिनांक 14.2.2024 पर अंकित है। (विशनाराम)पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।क्रमांकः-139-42 दिनांकः-14.2.2024 प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1 उदयपुर।2.उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।3.पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौडगढ़।4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** UMESH KUMAR OJHA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 14/02/2024 19:57:05

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	02/01/1973				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)